The Uttar Pradesh Municipalities Act (Uttaranchal Amendment) Act, 2001

Act 1 of 2001

Keyword(s):
Municipal Corporation, Municipality

Amendment appended: 6 of 2001

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या- 008 (क)

Act 1/2001

सरकारी गजट उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 20 जनवरी, 2001 ई०

पौष 30, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल सरकार

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 11/वि० एवं सं० कार्य/2001

देहरादून, 20 जनवरी, 2001 ई०

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 18 जनवरी, 2001 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 1 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 1 सन् 2001)

(जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 11 दिसम्बर, 2000 ई० को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 में नई धारा का जोड़ा जाना

2—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में धारा 10-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ दी जायेगी, अर्थात्—

"10—कक—नया बोर्ड गठित किये जाने तक बोर्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध :— जहां नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका हो और नई नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ हो, तो नई नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का समुचित गठन होने तक—

(क) नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत, उसके अध्यक्ष और समिति की समस्त शक्तियां कार्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी (एतद्पश्चात् प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होंगी और उसके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन की जायेंगी और प्रशासक विधि की दृष्टि में नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष अथवा समिति, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगरपालिका कोष से देय होगा जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियत करे;

(ग) राज्य सरकार समय समय पर, गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध शामिल हैं, किन्तु जो तारीख पर प्रभाव न डालें, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर हो, बना सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक जिलाधिकारी है वह राज्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी अथवा किसी शक्तियों, कार्यों एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन अपने से किसी अधीनस्थ अधिकारी (एतद्पश्चात् भारसाधक अधिकारी कहा जायेगा) को कर सकेगा और एतद्पश्चात् भारसाधक अधिकारी को वेतन एवं भत्ते खण्ड (ख) के अनुसार देय होंगे :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छह मास या नई नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के गठन तक जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 7 सन् 2000

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

इरशाद हुसैन,

सचिव।

No. 11 (i) / Vidhayee and Sansadiya Karya / 2001
Dated Dehradun, January 20, 2001

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam (Uttaranchal Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 1 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 18, 2001.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT (UTTARANCHAL SANSHODHAN) ACT, 2001

(UTTARANCHAL ACT No. 1 OF 2001)

[As passed by the Uttaranchal Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 in its application to Uttaranchal

IT IS HEREBY enacted in the fifty first year of the Republic of India as follows–

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities Act (Uttaranchal Sanshodhan) Adhiniyam, 2001.

(2) It extents to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force on 11th December, 2000.

Addition of new section 10 A in U.P. Act No. 2 of 1916

2. After section 10-A of Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 the following section shall be inserted, namely

"10-AA–Temporary provision regarding administration of a Municipality until a new Municipality is constituted-Where the term of a Municipal Council/Nagar Panchayat has expired and a new Municipal Council/Nagar Panchayat has not been constituted, then until the due constitution of the new Municipal Council/Nagar Panchayat–

(a) all powers, functions and duties of the Municipal Council/Nagar Panchayat, its president and committee shall be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer appointed in that behalf by the State Government, hereinafter referred to as the Administrator, and the Administrator shall be deemed in law to be the Municipal Council/Nagar Panchayat, the President or the Committee as the occasion may require.

(b) such salary and allowances of the Administrator as the State Government may by general or special order in that behalf fix shall be paid out of Municipal Fund.

(c) the State Government may from time to time by notification in Gazette, make such incidental or consequential provisions, including provisions for adapting, altering or modifying any provision of this Act, without affecting the substance, as may appear to it to be necessary or expedient for carrying out the purpose of the section:

Provided that where the Administrator appointed under this section is the District Magistrate, he may, subject to any general or special order of the State Government, delegate all or any of his

powers, functions and duties under this Act to any officer subordinate to him (hereinafter referred to as the officer-in-charge) and thereafter the salary and allowances of the officer-in-charge shall be paid in accordance with clause (b) :

Provided further that the Administrator appointed under this section shall have a term not exceeding six months or till the new Municipal Council/Nagar Panchayat is constituted, whichever is earlier."

Repeal and savings

3-(1) The Uttaranchal (Adaptation and Modification of the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) Ordinance, 2000 is hereby repealed. Uttaranchal Ordinance No. 2 of 2000

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
IRSHAD HUSSAIN,
Sachiv.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 6 विधायी/650-2001-250 (कम्प्यूटर)।

Act 6/2001

क्रम संख्या–058

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 08 मई, 2001 ई0

वैशाख 18, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 06/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 08 मई, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 08 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तरांचल अधिनियम संख्या : 06 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम–2001

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उत्तरांचल राज्य में संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 11 जून, 2001 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 10-क क के खण्ड (ग) के द्वितीय परन्तुक में संशोधन

2. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तरांचल संशोधन) सन् 2001 की धारा 10-क क के खण्ड (ग) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नवत् रख दिया जायेगा। अर्थात :-

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि 31 मार्च, 2002 या नई नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के गठन तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।"

आज्ञा से,

(पी० सी० पन्त)

सचिव, विधायी।

No. 06/Vidhayee And Sansadiya Karya/2001

Dated Dehradun, May 08, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Municipalities Act (Dwitiya Uttaranchal Sanshodhan) Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 06 of 2001) as passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 08, 2001.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT (DWITIYA UTTARANCHAL SANSHODHAN) ACT, 2001

To further amend the Uttar Pradesh Municipalities Act 1916 in its application to Uttaranchal.

AN

ACT

It is hereby enacted in the fifty second year of the Republic of India as follows :-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities Act (Dwitiya Uttaranchal Sanshodhan) Adhiniyam, 2001.

(2) It extents to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force on June 11, 2001.

Amendment of the second proviso of clause (c) of section 10-AA of U.P. Act no. 2 of 1916

2. After clause (c) of Section 10-AA of the Uttar Pradesh Municipalities Act 1916 the Second Proviso of the said Section shall be substituted as under, namely:-

"Provided further that the Administrator appointed under this section shall have a term till March 31, 2002 or till the new Municipal Council/Nagar Panchayat is constituted, whichever is earlier."

By Order,

(P. C. Pant)

Sachiv, Vidhayee.

P.S.U. (Re.) 4 Vidhayee/149--2001--500 (Computer).

उद्देश्य और कारण

उत्तरांचल राज्य के नवगठित होने के कारण जनपद हरिद्वार के नगर पालिका परिषद/पंचायतों के चुनाव निर्धारित समय के अन्तर्गत नहीं कराये जा सके, फलस्वरूप उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 1, सन् 2001) के द्वारा छः माह तक की अवधि के लिये प्रशासक की नियुक्ति का प्राविधान किया गया। यह अवधि 10 जून, 2001 को समाप्त हो रही है। नगर निकायों के चुनाव से पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों/पंचायतों तथा निकाय वार्डों में संविधान के प्राविधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है और राज्य गठन के उपरान्त राज्य के 13 जिलों की जनसंख्या के आधार पर ही यह नीति तैयार की जानी है। राज्य के कुल 13 जनपदों में से हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों के नगर निकायों की समयावधि फरवरी, 2002 में समाप्त हो रही है। अतः सम्पूर्ण राज्य में एक साथ चुनाव कराये जाने श्रेयस्कर होंगे।

अतः उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन), अधिनियम, 2001 लाया जा रहा है।

नित्यानन्द स्वामी,
मुख्यमंत्री।